# कार्यालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर।

क्रमांक – 22 दिनांक – 06.06.2025

## –: संशोधित कार्यालय आदेश :–

मैं, **सुरेन्द्र चौधरी**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर एतद्द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक–Gen-/XIX/Misc./2000/911/718, Dated-01.06.2001 की पालना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–21 दिनांक–31.05.2025 में प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन करते हुए माह **दिनांक 07.06.2025 व 08.06.2025** को पूर्व में रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत की गई पीठासीन अधिकारी श्रीमती प्रीति व्यास, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण) सं. 08, जोधपुर महानगर, जोधपुर की ड्यूटी को निरस्त कर उनके स्थान पर निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को आवश्यक दाण्डिक कार्य यथा रिमाण्ड, ज़मानत, धारा 164 दं.प्र.सं./183 बी.एन.एस.एस. के बयान, मर्ग जाँच एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य अपने न्यायालय में उपस्थित होकर (समय 09:00 ए.एम. से 11:30 ए.एम. तक) तथा उस रोज यदि कोई मृत्युकालिक कथन व धारा 52–ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत इन्वेन्ट्री हो, तो उस संबंध में कार्यवाही करने के लिए आवश्यक रूप से अधिकृत करता हूँ, **अन्य दिनांक के लिए पूर्ववर्ती आदेश प्रभावी रहेगा –**

| क्र.सं. | दिनांक | पीठासीन अधिकारी | न्यायालय | मोबाइल नं. |
|---|---|---|---|---|
| 01. | 07.06.2025 | श्री रणवीर चौधरी | विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण), संख्या 07, जोधपुर महानगर, जोधपुर। | 9468668536 |
| 02. | 08.06.2025 | | | |

रिमाण्ड प्राधिकृत किए जाने के दौरान रिमाण्ड में अभिवृद्धि हेतु उपर्युक्तानुसार दाण्डिक कार्य रिमाण्ड आदि के लिए प्राधिकृत किए गए रिमाण्ड मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि को प्राधिकृत करने की स्थिति में न्यायिक अभिरक्षा वारंट में स्पष्ट रूप से उस न्यायालय का नाम अंकित करें, जिस न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि हेतु मुलजिम को पेश किया जाना है। जमानत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करते समय जमानत आदेश में यह आवश्यक रूप से अलग से पैराग्राफ बनाकर लिखा जावे कि वह किस न्यायालय से संबधित है तथा किस पुलिस थाने से संबंधित है।

नोट – (ए) उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरम्भ होगी एव आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का संपादन उन्हीं अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।

(बी) अभियुक्तगण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। निर्धारित समय में अवकाश न्यायालय के समक्ष न्यायालय में पेश न करने एवं निवास पर पेश करने पर थानाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही जावेगी। विशेष परिस्थितियों में मुलजिम को निवास पर पेश करते समय निवास में प्रवेश न करवाकर बाहर रखा जावे व संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी। संबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।

(सी) उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है, तो उनके स्थान पर आने वाले उत्तरवर्ती पीठासीन अधिकारी, न्यायालय रिक्त रहने पर अतिरिक्त प्रभार वाले पीठासीन अधिकारी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में संबंधित पीठासीन अधिकारी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।

6/6/25

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जोधपुर महानगर, जोधपुर।

क्रमांक – 11 दिनांक – 06.06.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
02. स्थापना शाखा, जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
03. पुलिस उपायुक्त, पूर्व, जोधपुर महानगर।
04. पुलिस उपायुक्त, पश्चिम, जोधपुर महानगर।
05. अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसियेशन, जोधपुर।
06. अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसियेशन, जोधपुर।
07. उपनिदेशक, अभियोजन विभाग, जोधपुर महानगर।
08. ड्यूटी ऑफिसर, पुलिस कण्ट्रोल रूम, जोधपुर शहर।
09. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
10. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, नजारत शाखा, जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
11. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर।
12. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण) संख्या 07, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
13. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण) संख्या 08, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
14. कार्यालय प्रति।

6/6/25

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जोधपुर महानगर, जोधपुर।